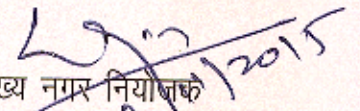


37. लिफ्ट के संचालन हेतु कॉरपस फण्ड का प्राविधान करना होगा।
38. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिकों हेतु शौचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्राविधान करना होगा।
39. शमन मानचित्र एवं पूर्व स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।
40. प्रश्नगत मानचित्र के निर्गत से पूर्व स्थल पर अवैध निर्माण होने की स्थिति में, प्रवर्तन अनुभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
41. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना सुनिश्चित होगा।
42. भूखण्ड परिसर के अन्दर निर्मित निर्माण की समस्त स्थिति (पार्किंग आदि) शमन मानचित्र के अनुसार ही रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
43. शासनादेश संख्या- 03/8-3-15-198 विविध/14 दिनांक 04.03.2015 के अधीन टी.ओ.डी. जोन के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

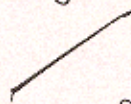
उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक:- मानचित्र का सैट।


 मुख्य नगर नियोजक
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
 दिनांक

पृष्ठांकन :/1324/जोन-6/कॉम/जी.एच./2011-12

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 मुख्य नगर नियोजक
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण